

क्रमांक : आरएनसी / शैक्ष0 / 2022 / 1387

दिनांक: 24-11-2022

प्रधानाचार्य,  
समस्त निजी नर्सिंग संस्थान,  
(जी.एन.एम / बी.एस.सी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग /  
एम.एस.सी नर्सिंग संस्थान)  
राजस्थान

विषय :- नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क के डिस्ले के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न नर्सिंग कोर्सेज में प्रवेश लेने वाले एवं कोर्स में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का डिस्ले आपके संस्थान के मुख्य द्वार पर, नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य मुख्य स्थानों पर नीचे दिये गये प्रारूप में आवश्यक रूप से करें :-

क्र.सं.	कोर्स का नाम	प्रतिवर्ष लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क की राशि	जमानती राशि (कॉशन मनी)	अन्य शुल्क (परिवहन शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि) विवरण सहित	कुल राशि

नोट :- कोर्स के नाम में कक्षा का उल्लेख करना सुनिश्चित करें, जैसे - जी.एन.एम प्रथम वर्ष, जी.एन.एम द्वितीय वर्ष एवं जी.एन.एम तृतीय वर्ष। इसी प्रकार अन्य कोर्सेज में कक्षा का उल्लेख सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए संस्था उत्तरदायी रहेगी।



(डॉ. शशिकान्त शर्मा)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक:-आर.एन.सी. / शैक्ष0 / 2022 / 1387

दिनांक 24-11-2022

प्रतिलिपी :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ एवं पदेन अध्यक्ष (आरएनसी) जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर